

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

राजस्व वाद संख्या :- 6/2024 (मनिलाल बनाम अशोक वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादी मिनजानिव मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.02.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बिसाऊ को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार बिसाऊ के आदेश क्रमांक भू0अ0/2025/597 दिनांक 07.08.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2025 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम नांद सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 336 रकबा 2.07 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र. सं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है0 में)	भूमि किस्म
1	मनिलाल जांगिड़ पुत्र भगवाना हि0 पूर्ण जाति खाती सा. नांद का बास खातेदार	336मी	0.4020	बा2
2	जैसा भुरा पुत्र रामसुख हि. 1/2 झाबर दयाचन्द बजरंग राजू हीरा पुत्र सुरजा हि. 1/4 प्यारेलाल योगेन्द्र रामनिवास पिता फूलाराम हि. 3/32 बिड़दी देवी पत्नी फूलाराम हि0 1/32 प्रमेश्वरी रतनी सरोज पुत्रियां फूलाराम हि. 3/32 अशोक प्रदीप पुत्र खेमचन्द हि. 1/64 ममता माया पुत्रियां खेमचन्द हि. 1/64 जाति खाती सा. नांद का बास खातेदार	336मी 336मी किता-2	0.8040 0.8040 1.6080	बा.2 बा.2
3	मनिलाल जांगिड़ पुत्र भगवाना हि0 1/5 जैसा भुरा पुत्र रामसुख हि. 2/5 झाबर दयाचन्द बजरंग राजू हीरा पुत्र सुरजा हि. 1/5 प्यारेलाल योगेन्द्र रामनिवास पिता फूलाराम हि. 3/40 बिड़दी देवी पत्नी फूलाराम हि0 1/40 प्रमेश्वरी रतनी सरोज पुत्रियां फूलाराम हि. 3/40 अशोक प्रदीप पुत्र खेमचन्द हि. 1/80 ममता माया पुत्रियां खेमचन्द हि. 1/80 जाति खाती सा. नांद का बास खातेदार	336मी	0.06	गै0मु0 रास्ता

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.11.2025 को जारी की गई।



(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर